पत्रांक–योजना बजट–383/2024 /प०व०ज०प०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक– /01/2025

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में जल–जीवन–हरियाली योजनान्तर्गत गया वन प्रमंडल में कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना के प्रचार–प्रसार एवं Extension कार्य हेतु कुल ₹19,23,832/– (उन्नीस लाख तेईस हजार आठ सौ बत्तीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में जल–जीवन–हरियाली योजनान्तर्गत गया वन प्रमंडल में कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना के प्रचार–प्रसार एवं Extension कार्य हेतु कुल ₹19,23,832/– (उन्नीस लाख तेईस हजार आठ सौ बत्तीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक–1029 दिनांक–22.10.2024 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट–1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–101–वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–0111–जल–जीवन–हरियाली, मांग संख्या–19, विपत्र कोड–19–2406011010111, विषय शीर्ष–0111.02.01–मजदूरी, 0111.21.01 सामग्री एवं पूर्तियॉ तथा 0111.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया होगें तथा राशि की निकासी उनके संबंद्ध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक–2221 दिनांक–15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 की कंडिका–15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के आधार पर ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री / सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।

11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग–अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण–पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित / निरीक्षण / पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।

13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।

14. संचिका संख्या–383 / 2024 के पृष्ठ–07 / टि० पर दिनांक–02.01.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक–09.01.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

15. संचिका संख्या–383 / 2024 के पृष्ठ–08 / टि० पर दिनांक–10.01.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति एवं संचिका के पृष्ठ–09 / टि० पर दिनांक–13.01.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक – यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह० / –
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट–383 / 2024– 189 / प०व०ज०प०, पटना–15, दिनांक– 14/01 / 2025

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना / प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्तीय सलाहकार / बजट शाखा (दो प्रतियों में) / आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14-1-25
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

गया वन प्रमण्डल, गया

कृषि वानिकी योजना के तहत दैनिक कार्य एवं किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्राक्कलन

मण्डल का नाम	कार्य का विवरण	जिला/प्रखण्ड का नाम	जिला/प्रखण्ड की संख्या	इकाई	इकाई दर	चार माह की कुल राशि	अभियुक्ति
गया वन प्रमण्डल, गया	दैनिक कार्य एवं किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु	चन्दौती बेलागंज वजीरगंज मानपुर बोधगया टनकुप्पा फतेहपुर टेकारी कोंच गुरारू गुरूआ परैया नीमचक बथानी खिजरसराय अतरी मोहड़ा शेरघाटी बांकेबाजार आमस इमामगंज डुमरिया बाराचट्टी डोभी मोहनपुर जहानाबाद मखदुमपुर काको घोषी मोदनगंज हुलासगंज रतनी	31	15.5	19476	1207512	
	कृषि वानिकी कैम्प लगाकर प्रचार प्रसार हेतु	गया एवं जहानाबाद	2	2	358160	716320	
					कुल राशि	1923832	

As per SoR Memo no- 922 dated 31.08.2024 R.C.C.F., Patna

वन संरक्षक, गया अंचल, गया के पत्रांक 1369 दिनांक 7.09.2024 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया के पत्रांक 5426 दिनांक 05.09.2024 के द्वारा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के सारांश पर वन संरक्षक, गया अंचल, गया की अनुशंसा के आधार रू० **19,23,832**/–(उन्नीस लाख तेईस हजार आठ सौ बतीस रूपया) के लिए तकनीकी अनुमोदन दी जाती है।

11/9/24

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना।

T.S. accorded for Rs.1923832/- and Countersigned,

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक
गया अंचल, गया

Divisional Forest Officer,
Gaya Forest Division, Gaya